

प्रेषक

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 14 मई, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामु0स्वा0केन्द्र, बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7991/17फ/नि0नि0अ0/2019-20, दिनांक 16.04.2019, शासनादेश संख्या-363/2016/2570 /पांच-6-2016-46(नि0)/16टी.सी. दिनांक 27.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-71/2019/297/पांच-6-2019-46(नि0)/16टी.सी. दिनांक 15.03.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 27.12.2016 द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ का भवन निर्माण कराये जाने हेतु ₹0-509.58 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्तके रूप में ₹0-254.79 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 15.03.2019 द्वारा पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत के आधार पर (जी0एस0टी0 सहित) पुनरीक्षित लागत ₹0-604.94 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार सामु0स्वा0केन्द्र, बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के भवन निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्तधनराशि ₹0 254.79 लाख को समायोजित करते हुए पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹0 350.15 लाख में से कार्य की निरन्तरता बनाये रखने हेतु ₹0 200.00 लाख (रूपया दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019, शासनादेश संख्या-363/2016/2570/पांच-6-2016-46(नि0)/ 16टी.सी. दिनांक 27.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-71/2019/297/पांच-6-2019-46(नि0)/16टी.सी. दिनांक 15.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. पुनरीक्षित प्रयोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को शासन द्वारा प्रायोजना की आकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. शासन द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
 4. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियाँ एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि शासन का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 5. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उ०प्र० की होगी।
 6. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
 7. यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्तिद्विरावृत्ति न हो।
 8. वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।
 10. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
 11. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेंज चार्ज लिया जायेगा।
 12. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 13. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।
 14. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 15. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी०एल०ए०/बैंक/डाक खाते आदि में नहीं रखी जायेगा।
 16. प्रायोजना में जुलाई 2017 तक किये गये कार्यों पर सर्विस टैक्स की प्रस्तावित धनराशि को यथावत अनुमन्य किया गया है। वर्क टू बी इन के कार्यों हेतु जी०एस०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-32 लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्य-104 सामुदायिक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्वास्थ्य केन्द्र, 03-सामु0स्वा0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना) 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-126/2019/1026(1)/पांच-6-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, हापुड़।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. निदेशक (चिकित्सा उपचार/सी0एच0सी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
10. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 यू0पी0स्टेट कास्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा कचर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ/बुलन्दशहर।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूलपत्रावली में।
14. विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,
हरनाम
संयुक्त सचिव।